रजिस्ट्री सं. डी.एल.-33004/93 REGD. NO. D.L.-33004/93

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (i)
PART II—Section 3—Sub-section (i)

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 248] नई दिल्ली, मंगलवार, जुलाई 20, 1993/आषाढ़ 29, 1915
No. 248] NEW DELHI, TUESDAY, JULY 20, 1993/ASADHA 29, 1915

इस भाग में भिन्न पृष्ठ संख्या दी जाती है जिससे कि यह अलग संकलन के रूप में रखा जा सके
Separate Paging is given to this Part in order that it may be filed as a separate compilation

मानव संसाधन विकास मंत्रालय

(शिक्षा विभाग)

अधिसूचना

नई दिल्ली, 20 जुलाई, 1993

सा.का.नि. 516(अ).—विश्वविद्यालय अनुदान आयोग अधिनियम, 1956 (1956 का 3) की धारा 25 की उपधारा (2) के उपबंध (घ) के साथ पठित उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त अधिकारों का प्रयोग करते हुए केन्द्र सरकार एतद्द्वारा विश्वविद्यालय अनुदान आयोग में वित्तीय सलाहकार के पद पर भर्ती की पद्धति को विनियमित करने वाले निम्नलिखित नियमों को बनाती है, अर्थात् :—

1. संक्षिप्त शीर्षक और प्रारम्भ : इन नियमों को वित्तीय सलाहकार विश्वविद्यालय अनुदान आयोग (भर्ती) नियमावली, 1993 कहा जा सकता है। राजपत्र में प्रकाशित होने की तारीख से ये लागू हो जाएंगे।

2. वर्गीकरण और वेतनमान : इससे जुड़े पद का वर्गीकरण और वेतनमान इस नियमावली के साथ संलग्न तालिका के कालम 3 और 4 में जैसा विनिर्दिष्ट किया गया है, वैसा होगा।

3. भर्ती की पद्धति, आयु सीमा, अन्य अर्हताएं आदि : उक्त पद से संबंधित भर्ती की पद्धति, आयु सीमा, अर्हताएं तथा अन्य मामले उक्त तालिका के कालम 5 से 12 में जैसा विनिर्दिष्ट किया गया है, वैसे होंगे।

तथापि विश्वविद्यालय अनुदान आयोग, लिखित में रिकार्ड किए जाने वाले कारणों के लिए, तालिका में उल्लिखित पद के संबंध में भर्ती के लिए आयु-सीमा से संबंधित प्रावधानों और भर्ती से संबंधित अर्हताओं में छूट दे सकता है।

4. अयोग्यता : (क) जो जीवित पति/पत्नी के होते हुए भी उस व्यक्ति के साथ शादी कर लेता है या शादी के लिए करार करता है, अथवा

(ख) जो व्यक्ति अपने पति/पत्नी के जीवित होते हुए भी अन्य व्यक्ति के साथ शादी कर लेता है या शादी के लिए करार करता है,

उक्त पदों में से किसी भी पद पर नियुक्ति के लिए ऐसा व्यक्ति पात्र नहीं होगा :

तथापि यदि विश्वविद्यालय अनुदान आयोग इस बात से संतुष्ट हो कि ऐसे व्यक्ति तथा शादी से संबंधित दूसरे पक्षकार पर लागू होने वाले व्यक्तिगत कानून के अन्तर्गत इस प्रकार का विवाह अनुमत्य है और यह कि ऐसा करने के लिए अन्य आधार भी हों तो वह किसी भी व्यक्ति को इस नियम के लागू होने से बरी कर सकता है।

5. छूट प्रदान करने का अधिकार : जहां केन्द्र सरकार का यह अभिमत हो कि ऐसा करना आवश्यक है या उपयोगी है तो वह, लिखित में रिकार्ड किए जाने वाले कारणों के लिए, आदेश द्वारा व्यक्तियों के किसी वर्ग या श्रेणी के संबंध में इन नियमों के प्रावधानों में छूट प्रदान कर सकती है।

6. बचाव : अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति तथा विशिष्ट श्रेणी के अन्य व्यक्तियों को प्रदान किए जाने वाले आरक्षण, आयु सीमा में छूट तथा अन्य रियायतों के अनुसरण में समय-2 पर इस संबंध में केन्द्र सरकार द्वारा जारी आदेशों को, ये नियम जरा सा भी प्रभावित नहीं करेंगे।

तालिका

क्र.सं.	पद का नाम	वर्गीकरण	वेतनमान	क्या प्रवरण अथवा अप्रवरण पद है	सीधी भर्ती के लिए आयु सीमा
1	2	3	4	5	6
1.	वित्तीय सलाहकार	वर्ग 'क'	5900-200-6700 रु०	लागू नहीं होता	लागू नहीं होता

सीधी भर्ती के लिए अपेक्षित शैक्षिक और अन्य अर्हताएं	क्या सीधी भर्ती के लिए निर्धारित आयु और शैक्षिक अर्हताएं, पदोन्नति के मामले में लागू होंगी	परिवीक्षा की अवधि	भर्ती की विधि क्या सीधी भर्ती द्वारा अथवा पदोन्नति द्वारा या स्थानान्तरण द्वारा और विभिन्न विधियों द्वारा भरी जाने वाली रिक्तियों की प्रतिशतता
7	8	9	10
लागू नहीं होता	लागू नहीं होता	लागू नहीं होता	प्रतिनियुक्ति पर स्थानांतरण द्वारा या अनुबंध पर। प्रतिनियुक्ति/अनुबंध की अवधि सामान्यतः 5 वर्ष होगी।

पदोन्नति, स्थानान्तरण द्वारा भर्ती के मामले में, वे पदक्रम जिनसे पदोन्नति की जानी है	विभागीय पदोन्नति समिति अथवा चयन समिति की संरचना
11	12
अखिल भारतीय सेवाओं/केन्द्रीय सिविल सेवाओं (वर्ग 'क') के अधिकारी जिनकी वर्ग 'क' में 17 वर्ष की सेवा है और सदृश पदों पर हैं। अन्य बातें एक समान होने पर, लेखा-परीक्षा एवं लेखा सेवाओं के अधिकारियों को वरीयता दी जाएगी।	1. अध्यक्ष, विश्वविद्यालय अनुदान आयोग। 2. उपाध्यक्ष, विश्वविद्यालय अनुदान आयोग। 3. अध्यक्ष विश्वविद्यालय अनुदान आयोग द्वारा नामित किए जाने वाले आयोग के दो सदस्य। 4. अध्यक्ष, विश्वविद्यालय अनुदान आयोग द्वारा नामित किए जाने वाला बाहर का एक विशेषज्ञ। 5. केन्द्रीय सरकार का एक प्रतिनिधि। 6. सचिव, विश्वविद्यालय अनुदान आयोग।

[सं. एफ 4-34/93-यू.I]

डा. जे.एस. राजपूत, संयुक्त सचिव

MINISTRY OF HUMAN RESOURCE DEVELOPMENT

(Department of Education)

NOTIFICATION

New Delhi, the 20th July, 1993

G.S.R. 516(E) :—In exercise of the powers conferred by sub-section (1) read with clause (d) of sub-section (2) of section 25 of the Universty Grants Commission Act, 1956 (3 of 1956), the Central Government hereby makes the following rules regulating the method of recruitment to the post of Financial Adviser in the University Grants Commission, namely :—

1. Short title and commencement :— (1) These rules may be called the Financial Adviser, University Grants Commission (Recruitment) Rules, 1993.

(2) They shall come into force from the date of their publication in the Official Gazette.

2. Classification and scale of pay :— The classification of post, and the scale of pay attached there to shall be as specified in columns 3 and 4 of the Schedule annexed to these rules.

3. Method of recruitment, age limit, other qualifications etc.—The method of recruitment, age limit, qualifications and other matter relating to the said post shall be as specified in columns 5 to 12 of the said Schedule :

Provided that the University Grants Commission may, for reasons to be recorded in writing, relax the provisions relating to age limit for recruitments and the qualifications for recruitment in respect of the post mentioned in the Schedule.

4. Disqualification—No person,—

(a) who has entered into or contracted a marriage with a person having a spouse living; or

(b) who, having a spouse living, has entered into for contracted a marriage with any person;

shall be eligible for appointment to any of the said posts :

Provided that the University Grants Commission may, if satisfied that such marriage is permissible under the personal law applicable to such person and the other party to the marriage and that there are other grounds for so doing, exempt any person from the operation of this rule.

5. Power to relax.—Where the Central Government is of opinion that it is necessary or expedient so to do, it may by order, for reasons to be recorded in writing, relax any of the provisions of these rules with respect to any class or category of persons.

6. Saving :—Nothing in these rules shall effect reservations, relaxation of age limit and other concessions required to be provided for the Scheduled Castes, the Scheculed Tribes and other special categories of persons in accordance with the orders issued by the Central Government from time to time in this regard.

SCHEDULE

Sl. No.	Name of post	Classification	Scale of pay	Whether selection or non-selection post	Age limit for direct recruitment
1	2	3	4	5	6
1.	Financial Adviser	Group 'A'	Rs. 5900-200-6700	Not applicable	Not applicable

Educational and other qualification required for direct recruitment	Whether age and educational qualifications prescribed for the direct recruitment will apply in the case of promotion	Period of probation
7	8	9
Not applicable	Not applicable	Not applicable

Methods of recruitment whether by direct recruitment or by promotion or transfer and percentage of the vacancies to be filled by various methods	In case of recruitment by promotion, transfer, grades from which promotion to be made	Composition, of Departmental Promotion Committee or Selection Committee
10	11	12
By transfer on deputation or on contract. Deputation/Contract period shall normally be 5 years.	Officerss belonging to All India Services/ Central Civil Services (Group 'A') with 17 years service in Group 'A' and holding analogous posts. Other things being equal, preference shall be given to officers belonging to Audit and Accounts Services.	1. Chairman, University Grants Commission. 2. Vice-Chairman, University Grants Commission. 3. Two members of the Commission to be nominated by the Chairman, University Grants Commission. 4. One outside expert to be nominated by Chairman, University Grants Commission. 5. A representative of Central Government. 6. Secretary, University Grants Commission.

[No. F.4-34/93-U.I.]
Dr. J.S. RAJPUT, Jt. Financial Adviser

Printed by the Manager, Govt. of India Press, Ring Road, Maya Puri, New Delhi 110064
and Published by the Controller of Publications, Delhi-110054, 1993